



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225023
CG-DL-E-09022021-225023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]
No. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 106 (अ).—पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त धारा की उप-धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित है, की प्रतियां, आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 को या sachin.d@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेज दिया जाए;

निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

- (1) इन नियमों को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 2 के, उप-नियम (ग) के पश्चात निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः -

“(गक) ‘पात्र शैक्षिक संस्थान’ का अर्थ है केंद्र, प्रांत अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान, जिसका स्वामित्व सरकार के पास हो अथवा जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो और पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो।

व्याख्या:- इस खंड के उद्देश्य हेतु, ‘पर्याप्त वित्त पोषण’ का वही अर्थ होगा जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 14 की उप-धारा (1) की व्याख्या में दिया गया है”

3. मूल नियम के नियम 7 में,

(i) उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक हेतु, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“बशर्ते कि आगे किसी छोटी कंपनी अथवा स्टार्टअप अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान के मामले में, प्रत्येक दस्तावेज जिसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, उसके साथ प्रपत्र-28 को संबद्ध करना होगा”

(ii) उप-नियम (3) को, निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

“(3) ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः या अंशतः अंतरित करने के लिए आवेदन पर कार्यवाही की जाती है तो किसी व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान से ली गई फीस और व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान को छोड़कर किसी व्यक्ति से ली जाने वाली निश्चित फीस की मात्रा का अंतर, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा अंतरण के अनुरोध के साथ भुगतान किया जाएगा।”;

4. मूल नियम के नियम 24ग में, उप-नियम (1) के खंड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः -

“(ट) कि आवेदक एक पात्र शैक्षणिक संस्थान है।”

5. मूल नियम में, पहली अनुसूची की सारणी 1 को निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

प्रविष्टि संख्या	जिस पर संदेय है	संबद्ध प्रपत्र संख्या	ई-फाइलिंग के लिए		वास्तविक रूप में फाइल करने के लिए	
			व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान	अन्य, अकेले या व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान	व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान	अन्य, अकेले व्यक्ति, स्टार्टअप, छोटी कंपनी अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम/पूर्ण विशिष्टताओं के साथ धारा 7, 54 और 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -	1	1600 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1600 के गुणज में	8000 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8000 के गुणज में	1750 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1750 के गुणज में	8800 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8800 के गुणज में

	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए।		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यधीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यधीन	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
2.	अंतिम विवरण के पश्चात् सम्पूर्ण विवरण फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों -	2	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए।		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और, या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए।		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यधीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यधीन	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबद्धता दायर करने पर।	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	i) धारा 53(2) और 142(4), नियम 13(6), 80(1क) (प्रतिमाह) के अन्तर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध।	4	480	2400	530	2600
	ii) नियम 24 ख के उप-नियम (5) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)।	4	1000	4000	1100	4400
	iii) नियम 24 ग के उप-नियम (11) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)	4	2000	10000	2200	11000
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन आविष्कारवृत्ति के अनुसार घोषणा दायर करने पर।	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन संदर्भ के लोप हेतु आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर;	6	800	4000	880	4400
	(ii) धारा 20(4) या 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6	800	4000	880	4400
8.	(i) धारा 25(2) के अधीन पेटेंट को मंजूर करने के विरोध की नोटिस पर ;	7	2400	12000	2600	13200
	(ii) धारा 25(1) के अधीन पेटेंट अनुदान का विरोध करने के लिए आवेदन फाइल करने पर।	7 क	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं

9.	नियम 62(2) के अधीन यह नोटिस देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	-	1500	7500	1700	8300
10.	धारा 28(2), धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	4000	880	4400
11.	धारा 11क(2) और नियम 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	12500	2750	13750
12.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	12000	2650	13200
13.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन पर।	11	2400	12000	2650	13200
14.	धारा 26(1) या 52(2) के अधीन पेटेंट मंजूर करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	12000	2650	13200
15.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में बदलने करने के अनुरोध पर।	-	2400	12000	2650	13200
16.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण के लिए -					
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000

(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष के संबंध में।		8000	40000	8800	44000
17.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13				
(i)	पेटेंट प्रदान करने से पूर्व;		800	4000	880	4400
(ii)	पेटेंट प्रदान करने के पश्चात्;		1600	8000	1750	8800
(iii)	जहाँ नाम या पता या राष्ट्रीयता या सेवार्थ पते में संशोधन होना है।		320	1600	350	1750
18.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	12000	2650	13200
19.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	12000	2650	13200
20.	धारा 61(3) और नियम 86(1) के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस।	—	4800	24000	5300	26400
21.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	—	1000	5000	1100	5500
22.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) या 90(2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के लाइसेंसधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,000 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	1750 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,800 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)
23.	नियम 94 (1) या नियम 118 (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर।	—	320	1600	350	1750
24.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
25.	धारा 84 (1), 91 (1), 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन पर।	17	2400	12000	2650	13200
26.	पेटेंट के लिए आवेदन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर -	18				
	(i) धारा 11ख और नियम 24 (1) के अधीन;		4000	20000	4400	22000
	(ii) नियम 20(4)(ii) के अधीन।		5600	28000	6150	30800

27.	नियम 24ग के अधीन पेटेंट हेतु त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर।	18 क	8000	60000	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
28.	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए फाइल अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध में परिवर्तित करने पर।	18 क	4000	40000	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
29.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट को रद्द करने के लिए आवेदन पर।	19	2400	12000	2650	13200
30.	धारा 88(4) के अधीन लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	12000	2650	13200
31.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य लाइसेंस की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	12000	2650	13200
32.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	लागू नहीं	3500	लागू नहीं
33.	नियम 109 (3) के अधीन अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध पर।	—	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए —					
	(i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जानी वाली;	—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
	(ii) प्रत्येक वर्ष के लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
35.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए।	--	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
36.	नियम 117 (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	23	1600 (प्रविष्टि संख्या 34 के अधीन जारी रखने की फीस के अलावा	लागू नहीं	1750 (प्रविष्टि संख्या 34 के अधीन जारी रखने की फीस के अलावा	लागू नहीं
37.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
38.	धारा 77(1)(च) या 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश की समीक्षा या लंबित रखने के लिए आवेदन पर।	24	1600	8000	1750	8800
39.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवेदन के लिए अनुमति हेतु आवेदन पर।	25	1600	8000	1750	8800
40.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन डुप्लिकेट पेटेंट के लिए आवेदन पर।	—	1600	8000	1750	8800

41.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 (1) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
	(ii) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध पर या धारा 147 और नियम 133(2) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए।	--	2400 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	12000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	3300 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	13200 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	—	800	4000	880	4400
43.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74क के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	—	320	1600	350	1750
44.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	—	480	2400	530	2650
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्रपत्र पर।	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
46.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	—	1600	8000	1750	8800
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ।	—	10	10	10	10
48.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस।	—	3200	16000	3500	17600
49.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस (ई-पीसीटी फाइलिंग के लिए)।	—	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
50.	वरीयता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
51.	वरीयता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और डब्ल्यूआईपीओ डीएस के माध्यम से ई-पारेषण के लिए।	—	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
52.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण से संबंधित विवरण पर।	27	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
53.	छोटी कंपनी, स्टार्टअप अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान होने का दावा करने के लिए	28	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
54.	नियम 129क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)।	-	1000	5000	1100	5500
55.	धारा 11(ख) और नियम 7 (4क) के अंतर्गत आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन	29	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
56.	नियम 8(2) के अधीन विविध प्रपत्र, जब अन्य कोई प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो तब प्रयोग करने के लिए।	30	यथा लागू			

6. मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची में प्रपत्र 18(क) के पैराग्राफ (3) को निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“3. आवेदक को त्वरित जांच के लिए लागू किसी कारण (उचित बाक्स में सही का निशान लगा कर) को दर्शाना होगा:

कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में भारत को सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण के रूप में दर्शाया गया है अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक जांच प्राधिकरण के तौर पर चुना गया है; अथवा

कि आवेदक एक स्टार्टअप है; अथवा

कि आवेदक एक छोटी इकाई है; अथवा

कि आवेदक एक व्यक्ति है अथवा यदि संयुक्त आवेदकों के मामले में, सभी आवेदक व्यक्ति हैं तो आवेदक अथवा आवेदकों में से कम से कम एक आवेदक महिला है; अथवा

कि आवेदक सरकार का एक विभाग है; अथवा

कि आवेदक केंद्र, प्रांत अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई संस्थान है, जिसका स्वामित्व सरकार के पास है अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित है; अथवा

कि आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथानिर्धारित कोई सरकारी कंपनी है; अथवा

कि आवेदक सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित कोई संस्थान है; अथवा

कि आवेदक केंद्र सरकार के विभाग के अध्यक्ष से प्राप्त अनुरोध के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी क्षेत्र से संबंधित है; अथवा

कि आवेदक भारतीय पेटेंट कार्यालय और किसी विदेशी पेटेंट कार्यालय के बीच किसी समझौते के अनुसरण में किसी पेटेंट आवेदन पर कार्यवाही हेतु किसी व्यवस्था के अंतर्गत पात्र है; अथवा

कि आवेदक एक पात्र शैक्षणिक संस्थान है।”

7. मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची में प्रपत्र 18 (क) के पैराग्राफ (4) में, उप-पैराग्राफ (ज) के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“ट.	कि आवेदक एक पात्र शैक्षणिक संस्थान है:
भारत के साथ-साथ विदेशी आवेदक को पात्रता के साक्ष्य के रूप में संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।	

8. मूल नियम में, द्वितीय अनुसूची में, प्रपत्र 28 के पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (ii) के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“	iii) पात्र शैक्षणिक संस्थान की स्थिति का दावा करने के लिए (भारत के साथ-साथ विदेशी आवेदक)
	पात्र शैक्षणिक संस्थान हेतु दस्तावेजी साक्ष्य कि : क. केंद्र, प्रांत अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित; और ख. स्वामित्व सरकार के पास है अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित है और पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है।”

[फा.सं. पी-24027/4/2020-आईपीआर-III]

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे व अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689 (अ) तारीख 04 नवंबर, 2020 के द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February , 2021

G.S.R. 106(E).—The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 , are hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi- 110011 or by e-mail at sachin.d@gov.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the draft Patents (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 2 of the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), after sub-rule (c), the following shall be substituted, namely:
"(ca) 'eligible educational institution' means an institution established by a Central, Provincial or State Act, which is owned or controlled by the Government, and is wholly or substantially financed by the Government.
Explanation:- For the purpose of this clause, the term 'substantially financed' shall have the same meaning as in the Explanation to sub-section (1) of section 14 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971(56 of 1971)."
3. In rule 7 of the principal rules,
(i) in sub-rule (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
“Provided further that in the case of a small entity, or startup, or eligible educational institution, every document for which a fee has been specified shall be accompanied by Form-28.”
(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) In case an application processed by a natural person, startup, small entity or eligible educational institution is fully or partly transferred to a person other than a natural person, startup, small entity or eligible educational institution, the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from the natural person, startup, small entity or eligible educational institution and the fees chargeable from the person other than a natural person, startup, small entity or eligible educational institution, shall be paid by the new applicant along with the request for transfer.”

4. In rule 24C of the principal rules, in sub-rule (1), after clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-

“(k) that the applicant is an eligible educational institution.”

5. In the principal rules, for Table I of the FIRST SCHEDULE, the following table shall be substituted, namely:—

Number of Entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing		For physical filing	
			Natural person, startup, small entity or eligible educational institution	Others, alone or with natural person, startup, small entity or eligible educational institution	Natural person, startup, small entity or eligible educational institution	Others, alone or with natural person, startup, small entity or eligible educational institution
1	2	3	4	5	6	7
			Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1.	On application for a patent under sections 7, 54 or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification—	1	1600 Multiple of 1600 in case of every multiple priority.	8000 Multiple of 8000 in case of every multiple priority.	1750 Multiple of 1750 in case of every multiple priority.	8800 Multiple of 8800 in case of every multiple priority.
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9).		(iii) 160 subject to a maximum of 24000	(iii) 800 subject to a maximum of 120000	Not allowed	Not allowed
2.	On filing complete specification after provisional up to 30 pages having up to 10 claims –	2	No fee	No fee	No fee	No fee
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800

	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9).		(iii) 160 subject to a maximum of 24000	(iii) 800 subject to a maximum of 120000	Not allowed	Not allowed
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	No fee	No fee	No fee
4.	i) On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1A) and 130 (per month).	4	480	2400	530	2600
	ii) On request for extension of time under sub-rule (5) of rule 24B (per month).	4	1000	4000	1100	4400
	iii) On request for extension of time under sub-rule (11) of rule 24C (per month).	4	2000	10000	2200	11000
5.	On filing a declaration as to inventorship under sub-rule (6) of rule 13.	5	No fee	No fee	No fee	No fee
6.	On application for postdating.	-	800	4000	880	4400
7.	On application for deletion of reference under section 19(2).	-	800	4000	880	4400
	(i) On claim under section 20(1);	6	800	4000	880	4400
	(ii) On request for direction under section 20(4) or 20(5).	6	800	4000	880	4400
8.	(i) On notice of opposition to grant of patent under section 25(2);	7	2400	12000	2600	13200
	(ii) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1).	7A	No fee	No fee	No fee	No fee
9.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under rule 62(2).	-	1500	7500	1700	8300
10.	On application under sections 28(2), 28(3) or 28(7).	8	800	4000	880	4400
11.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	12500	2750	13750
12.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	12000	2650	13200
13.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	12000	2650	13200
14.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	12000	2650	13200

15.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	-	2400	12000	2650	13200
16.	For renewal of a patent under section 53—					
i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	4000	880	4400
ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	4000	880	4400
iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	4000	880	4400
iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	4000	880	4400
v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	12000	2650	13200
vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	12000	2650	13200
vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	12000	2650	13200
viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	12000	2650	13200
ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	24000	5300	26400
x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	24000	5300	26400
xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	24000	5300	26400
xii)	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	24000	5300	26400
xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	24000	5300	26400
xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	40000	8800	44000
xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	40000	8800	44000
xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	40000	8800	44000

xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	40000	8800	44000
xviii)	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.		8000	40000	8800	44000
17.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13				
	before grant of patent;		800	4000	880	4400
	after grant of patent;		1600	8000	1750	8800
	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	1600	350	1750
18.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	12000	2650	13200
19.	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	12000	2650	13200
20.	Additional fee for restoration under section 61(3) and rule 86(1).	-	4800	24000	5300	26400
21.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	-	1000	5000	1100	5500
22.	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and rules 90(1) or 90(2).	16	1600 (In respect of each patent)	8,000 (In respect of each patent)	1750 (In respect of each patent)	8,800 (In respect of each patent)
23.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agents under rules 94(1) or rule 118(1).	-	320	1600	350	1750
24.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under rule 94(3).	-	800	4000	880	4400
25.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91(1), 92(1) and 92A.	17	2400	12000	2650	13200

26.	On request for examination of application for patent—	18				
	(i) under section 11B and rule 24(1);		4000	20000	4400	22000
	(ii) under rule 20(4)(ii).		5600	28000	6150	30800
27.	On request for expedited examination of application for patent under rule 24C.	18A	8000	60000	Not allowed	Not allowed
28.	Conversion of the request for examination filed under rule 24B to request for expedited examination under rule 24C.	18A	4000	40000	Not allowed	Not allowed
29.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	12000	2650	13200
30.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	12000	2650	13200
31.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	12000	2650	13200
32.	On application for registration as a patent agent under rule 109(1) or rule 112.	22	3200	Not applicable	3500	Not applicable
33.	On request for appearing in the qualifying examination under rule 109(3).	-	1600	Not applicable	1750	Not applicable
34.	For continuance of the name of a person in the register of patent agents—					
	(i) for the 1st year to be paid along with registration;	-	800	Not applicable	880	Not applicable
	(ii) for every year excluding the 1st year to be paid on the 1st April in each year.	-	800	Not applicable	880	Not applicable
35.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	-	1600	Not applicable	1750	Not applicable
36.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under rule 117(1).	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 34)	Not applicable	1750 (Plus continuation fee under entry number 34)	Not applicable
37.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	-	800	4000	880	4400
38.	On application for review or setting aside the decision or order of the controller under section 77(1)(f) or 77(1)(g).	24	1600	8000	1750	8800
39.	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and rule 71(1).	25	1600	8000	1750	8800

40.	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	-	1600	8000	1750	8800
41.	(i) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(1).	-	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
	(ii) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(2).	-	2400 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	12000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	3300 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	13200 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)
42.	For certifying office copies, printed each.	-	800	4000	880	4400
43.	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.	-	320	1600	350	1750
44.	On request for information under section 153 and rule 134.	-	480	2400	530	2650
45.	On form of authorisation of a patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee
46.	On petition not otherwise provided for.	-	1600	8000	1750	8800
47.	For supplying of photocopies of the documents, per page.	-	10	10	10	10
48.	Transmittal fee for International application.	-	3200	16000	3500	17600
49.	Transmittal fee for International application (for ePCT filing).	-	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
50.	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual Property Organization.	-	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
51.	For preparation of certified copy of priority document and e-transmission through WIPO DAS.	-	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
52.	On statement regarding working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and rule 131(1).	27	No fee	No fee	No fee	No fee
53.	To be submitted for claiming the status of a small entity, startup or eligible educational institution.	28	No fee	No fee	No fee	No fee
54.	Request for adjournment of hearing under rule 129A (for each adjournment).	-	1000	5000	1100	5500

55.	Application for withdrawing the application under section 11B(4), and rules 7(4A) and 26.	29	No fee	No fee	No fee	No fee
56.	Miscellaneous form under rule 8(2), to be used when no other form is prescribed.	30	As applicable”			

6. In the principal rules, in THE SECOND SCHEDULE, in Form 18A, for paragraph (3), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“3. The applicant(s) to indicate (by ticking the appropriate box) any of the grounds applicable for request for expedited examination:

that India has been indicated as the competent International Searching Authority or elected as an International Preliminary Examining Authority in the corresponding international application; or

that the applicant is a startup; or

that the applicant is a small entity; or

that the applicant is a natural person or in the case of joint applicants, all the applicants are natural persons, then applicant or at least one of the applicants is a female; or

that the applicant is a department of the Government; or

that the applicant is an institution established by a Central, Provincial or State Act, which is owned or controlled by the Government; or

that the applicant is a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or

that the applicant is an institution wholly or substantially financed by the Government; or

that the application pertains to a sector which has been notified by the Central Government, on the basis of a request from the head of department of the Central Government; or

that the applicant is eligible under an arrangement for processing a patent application pursuant to an agreement between Indian Patent Office and a foreign Patent Office; or

that the applicant is an eligible educational institution.”

7. In the principal rules, in THE SECOND SCHEDULE, in Form 18A, in paragraph (4), after sub-paragraph (j), the following shall be substituted, namely:-

“k.	that the applicant is an eligible educational institution:
Indian as well as foreign applicants to submit relevant documents as evidence of eligibility.	

8. In the principal rules, in THE SECOND SCHEDULE, in Form 28, in paragraph 2, after sub-paragraph (ii), the following shall be substituted, namely:

“	iii) For claiming the status of an eligible educational institution (Indian as well as foreign applicants)
	Documentary evidence that the eligible educational institution: A. was established by a Central, Provincial or State Act; and B. is owned or controlled by the Government, and is wholly or substantially financed by the Government.”

[F. No. P- 24027/4/2020-IPR-III]

RAVINDER, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended *vide* notification number G.S.R. 689 (E) dated the 4th November, 2020.